(ख) क्या ऐसे परिवार के किसी सदस्य को रोजगार दिया गया है जिसके पालन-पोषण करने वाले व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु हो गई, यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों के मामलों की संख्या कितनी है?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) 1986-87 से 1988-89 के दौरान मारे गये व्यक्तियों की संख्या 357 थी जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

वर्ष	मारे गये यात्री
1986-87	114
1987-88	103
1988-89	140
जोड़ :	357

अतिरिक्त की जानकारी के बारे में सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) बड़ी दुर्घटनाओं में मारे गये सेवारत रेल कर्मचारियों के अलावा, अन्य व्यक्तियों के आश्रितों को नियुक्त करने का कोई प्रावधान नहीं है।

रेल दुर्घटनाओं में मारे गये सेवारत रेल कर्मचारियों के मामले में पात्र आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त करने का मौजूदा आदेशों में प्रावधान है। पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1986-87 से 1988-89 के दौरान बड़ी दुर्घटनाओं में मारे गये रेल कर्मचारियों के संबंध में की गई ऐसी नियुक्तियों की संख्या के बारे में सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

सवाई माधोपुर से जयपुर तक छोटी लाइन पर चलने वाली मेल एक्सप्रेस गाड़ियों में डीजल इंजन लगाया जाना

910. **डा० अबरार अहमद खान**: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सवाई माधोपुर से जयपुर, बीकानेर और लोहारु तक छोटी लाइन पर चलने वाली मेल और एक्सप्रेस गाड़ियों में कब तक डीजल इंजन लगाये जाने की उम्मीद है और सवाई माधोपुर से चलने वाली किसी भी गाड़ी में अभी तक डीजल ईंधन नहीं लगाये जाने के क्या कारण हैं;

(ख) बम्बई से आने वाली फ्रंटियर मेल, डीलक्स और देहरादून एक्सप्रेस रेलों में वातानुकूलित डिब्बों की सुविधा दी गयी है लेकिन इन वातानुकूलित डिब्बों में सफर करने वाले यात्रियों को सवाई माधोपुर स्टेशन पर उतरने के उपरान्त जयपुर जाने के लिये यह सुविधा नहीं मिल पाती है इसके क्या कारण हैं;

(ग) सवाई माधोपुर से छोटी लाइन पर चलने वाली गाड़ियों में कब तक वातानुकूलित डिब्बों की सुविधा उपलब्ध कराये जाने की आशा है; और

(घ) सवाई माधोपुर से छोटी लाइन पर चलने वाली गाड़ियों के प्रथम और द्वितीय श्रेणी के पुराने डिब्बों को कब तक बदल देने की उम्मीद है?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) यात्री गाड़ियों का डीजलीकरण एक सतत प्रक्रिया है जो रेल इंजनों की उपलब्धता तथा भार और लम्बी दूरी की मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों की मांग पर निर्भर करता है।

(ख) और (ग) धीमी रफ्तार से चलने वाली कम दूरी की गाड़ियों में वातानुकूल सवारी डिब्बे लगाना फिलहाल तकनीकी दृष्टि से व्यावहारिक नहीं पाया गया है।

(घ) सवारी डिब्बों का बदलाव एक सतत प्रक्रिया है जो सवारी डिब्बों की आयु-एवं-हालत तथा कोचिंग स्टाक की उपलब्धता पर निर्भर करता है।